



कार्यालय, प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय
रतनपुर - 495442
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

Special College
Code - 2812

Website: www.gmcraatanpur.ac.in; Tel: 07753255490; Mob; 9752107107
Email: gmc_ratanpur@rediffmail.com

// महाविद्यालय कैटिन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण //

दिनांक 09/09/2026

पूर्व वर्षों की भांति सत्र 2026-27 में छात्र-छात्राओं के लिये महाविद्यालय में कैटिन संचालित होना है। कैटिन संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म महाविद्यालयीन शर्तों के अधीन कैटिन में बनाये जाने वाले खाद्य सामग्री (संलग्न सूची) के विक्रय की प्रस्तावित दर सील बंद लिफाफे में कार्यालयीन समय में दिनांक 18/09/2026 सांय 05:30 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करें।

प्राप्त भाव पत्रों के अवलोकन पश्चात इस संबंध में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जा कर संबंधित को सूचित किया जायेगा।

संलग्न :-

01. कैटिन संचालन हेतु शर्तें।
02. खाद्य सामग्री की मात्रा सहित सूची।

(डॉ. जितेन्द्र मिश्रा)
संयोजक कैटिन समिति

(डॉ. ए.के. लहरे)
प्राचार्य

प्रतिलिपि:-

01. महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
02. महाविद्यालय के वेब साईट में अपलोड हेतु।
03. कार्यालयीन प्रति।

(डॉ. जितेन्द्र मिश्रा)
संयोजक कैटिन समिति

(डॉ. ए.के. लहरे)
Principal
Govt. Mahamaya College, Ratanpur
Distt.-Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय
रतनपुर - 495442
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

Special College
Code - 2812

Website: www.gmcratanpur.ac.in; Mob; 7952107107

Email: gmc_ratanpur@rediffmail.com; pri-mratanpur.cg@gov.in; col-mratanpur.cg@gov.in

// / कैटिन संचालन हेतु शर्तें //

दिनांक 09/09/2026

01. कैटिन समय प्रतिदिन कार्य दिवस पर प्रातः 10:30 बजे से 05:30 बजे सांय तक होगी।
02. खाद्य सामग्री की दर निविदा के अनुरूप होगी।
03. कैटिन में बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।
04. तम्बाखू युक्त किसी भी मादक पदार्थों का सेवन/बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
05. बाल मजदूर से कार्य लेना वर्जित होगा।
06. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता स्तरीय होना चाहिए।
07. स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
08. प्लास्टिक/पन्नी का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा।
09. महाविद्यालय की सामग्री उपयोग में लाने हेतु उसे कार्यालय से अनुमति लेकर निर्गमित कराना होगा एवं छोड़ने पर लौटाना होगा।
10. महाविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में चाय/नास्ता आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराना होगा।
11. कैटिन के कारण महाविद्यालय का अनुशासन प्रभावित होने पर तुरंत बंद कर खाली करना होगा।
12. उक्त शर्तों के साथ 50रु. के स्टॉम्प पेपर पर तथा 3000रु. अमानत राशि जमा कर महाविद्यालय के साथ अनुबंध करना होगा। प्रतिमाह बिजली, पानी, स्वच्छता के लिए 200रु. देय होगा।
13. चालू सत्र के दौरान समय से पूर्व कैटिन का संचालन बंद करने एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर अमानत राशि किसी भी रूप में लौटायी नहीं जायेगी।
14. कैटिन संबंधी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का व्यापारिक कार्य पूर्णतः वर्जित होगा।
15. लगातार 15 दिनों तक कैटिन का संचालन न करने की स्थिति में अनुबंध स्वमेव निरस्त माना जावेगा, एवं कैटिन संचालन का दायित्व प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को प्रदान किया जायेगा।


(डॉ. जितेन्द्र मिश्रा)

संयोजक कैटिन समिति


(डॉ. ए.के. लोहरे)

प्राचार्य

Principal

Govt. Mahamaya College, Ratanpur
Distt. - Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय
रतनपुर - 495442
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

Special College
Code - 2812

Website: www.gmc-ratanpur.ac.in; Tel: 07753255490; Mob: 9752107107
Email: gmc_ratanpur@rediffmail.com

कैंटिन में बनाये जाने वाले खाद्य सामग्री की सूची एवं मात्रा

दिनांक 09/09/2026

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 01. | समोसा | — | 75 ग्राम |
| 02. | बड़ा/प्याजी | — | 75 ग्राम |
| 03. | आलू बड़ा | — | 75 ग्राम |
| 04. | भजीया/पकौड़ा | — | 100 ग्राम |
| 05. | मंगौड़ी | — | 100 ग्राम |
| 06. | इडली | — | 75 ग्राम |
| 07. | दोसा | — | 125 ग्राम |
| 08. | खाना (लंच) | — | 04 रोटी, 100 ग्राम चावल, दो सब्जी, सलाद, पापड़, अचार |
| 09. | चाय | — | 75 एम.एल. |
| 10. | कॉफी | — | 75 एम.एल. |
| 11. | पैकड खाद्य सामग्री एवं कोल्डड्रिंक्स (एम.आर.पी. पर देय) | | |

(डॉ. जितेन्द्र मिश्रा)
संयोजक कैंटिन समिति

Principal
Govt. Mahamaya College, Ratanpur
Distt.-Bilaspur (C.G.)